केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 189 शुक्रवार 30 जनवरी 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आभा)। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा 23 जनवरी को जारी किए गए 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने' से जुड़े नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नियमों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है। इस फैसले को नियमों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए नियम स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान व यूजीसी अधिनियम, 1956 के खिलाफ बताया था। उनका तर्क था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के विपरीत हैं ।

एक नजर

कोडीन सिरप मामले में फार्मा संचालक गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री में शामिल एक फार्मा संचालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

मामले के अनुसार, औषधि निरीक्षक बस्ती अरविंद कुमार ने 8 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली में एक तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि गणपति फार्मा, जामा मस्जिद रहमतगंज, गांधीनगर बस्ती का संचालक पंकज कुमार आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री कर रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस टीम अभियुक्त की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में बुधवार, 28 जनवरी 2026 को देर शाम करीब 8.20 बजे कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस्ती क्षेत्र से अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र पुतुल साहनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से वाराणसी के मोहल्ला ए–3/134 त्रिलोचन बाजार, थाना आदमपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चंद्र चौधरी ने किया। टीम में निरीक्षक शुभनारायण दुबे, चौकी प्रभारी गांधीनगर उपनिरीक्षक सभाशंकर यादव और कांस्टेबल अभिषेक यादव शामिल थे। अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कांत ने बताया कि अभियुक्त से हुई पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है।

सड़क हादसे में मासूम की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सोनहा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में तीन वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। गुरूवार दोपहर सोनहा शिवाघाट मार्ग पर कुशहवा चौराहे के पास एक बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई। कुशहवा निवासी बुधराम (लगभग 40 वर्ष) अपनी साइकिल पर अपने तीन वर्षीय बेटे रुद्र और पांच वर्षीय बेटी अनुष्का को करीमनगर चौराहे से घर ले जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक बाइक ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम रूद्र की जिला अस्पताल में मौत हो गई। साइकिल पर सवार रुद्र, अनुष्का और उनके पिता बुधराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक चालक विनय कुमार (निवासी रामनगर, थाना सोनहा) को भी चोटें आईं।

आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिये रवाना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जनपद से चयनित 27 आपदा मित्र गुरूवार को 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) मुख्यालय, लखनऊ के लिए रवाना हुए। उक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) कीर्ति प्रकाश भारती ने ने बताया कि यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा संचालित आपदा मित्र योजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना है।

यूजीसी के नये नियमों पर रोक लगाने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सराहनीय- डॉ. विवेक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिक्षक डॉ. विवेक त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 के समानता नियमों के संचालन पर रोक लगा देने के निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है कि अच्छा हो कि सरकार स्वयं इसे वापस ले ले।

यूजीसी के नये नियमों का मुखर विरोध करने वाले डा. विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय है। न्यायालय ने उचित ही कहा है कि शिक्षण संस्थानों में 'स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी वातावरण चाहता होना चाहिये। नए नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियम फिलहाल लागू रहेंगे।

यूजीसी ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वंचित समूहों की शिकायतों के निवारण और सहायता के लिए एक संरचित ढांचा तैयार करना है। इस बीच, यूजीसी के नए नियमों ने छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यूजीसी के नियमों में 'जाति–आधारित भेदभाव' शब्द की परिभाषा को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च निश्चित की गई है

बिना हेलमेट, सीट बेल्ट वालों को भेंट किया गुलाबः दिये सुझाव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर एचबीएल एसोशिएसन् एवं परिवहन विभाग द्वारा गुरूवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे लोगों को रोककर उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया गया और प्रेमपूर्वक समझाया गया कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें।

इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन बस्ती मंडल फरीदुद्दीन एवं आरआई सीमा गौतम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना है। यदि वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित रूप से उपयोग करें तो दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि दंडात्मक कार्रवाई के साथ–साथ जागरूकता भी बेहद जरूरी है, इसी सोच के तहत यह अनोखा अभियान चलाया गया। गुलाब देकर लोगों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया, जिसे नागरिकों ने भी सकारात्मक रूप से स्वीकार किया।अभियान के दौरान लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे आगे से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करेंगे।

अभियान में मुख्य रूप से संरक्षक देवेन्द्र सिंह , अध्यक्ष नितेश श्रीवास्तव , अजय कुमार श्रीवास्तव , विनय दुबे , कायस्थ सेवा ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव , आलोक श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव , दीपक , अभिमन्यु सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में उठे मुद्दे

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट योजना के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर वृहद रूप में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना कराकर निवेश कर उद्यमियों को रोजगार प्रदान करना है। विभागीय अधिकारी मण्डल के उद्यमियों की इकाईयों की स्थापना एवं निवेश तथा स्वरोजगार में आ रही समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करायें।

संयुक्त आयुक्त उद्योग बस्ती मण्डल गौरव मिश्र ने बताया कि जनपद बस्ती में कुल 228 इकाईयों द्वारा रू0 2953.00 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 5125 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है।

बैठक में उद्यमी अशोक अग्रवाल ने बताया कि सड़क से विद्युत लाइन ले जाने हेतु आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में 11के0वी पाण्डेय बाजार व 11 के0वी0 हथियागढ़ फीडर पर कार्यदायी संस्था द्वारा पोल लगा दिये गये किन्तु तार अभी तक नहीं खींचा गया। उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बस्ती को निर्देशित किया गया कि वे सन्दर्भित प्रकरण का नियमानुसार त्वरित निस्तारण करायें। उपायुक्त उद्योग बस्ती हरेन्द्र प्रताप, संतकबीरनगर राजकुमार शर्मा, सिद्धार्थनगर उदय प्रकाश पासवान, एसई विद्युत संतकबीरनगर, आरसेटी के निदेशक मृत्युंजय मिश्रा, परिक्षेत्रीय ग्रामीण उद्योग अधिकारी एल0बी0 सिंह, चेम्बर्स आफ कामर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह व महामंत्री एच0सी0 शुक्ल, आदि उपस्थित रहे।

बाल वाटिका के माध्यम से हो रहा बच्चों का समग्र विकास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। ब्लाक संसाधन केंद्र हर्रैया पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को हुआ। बाल वाटिका में बच्चों को खेल के माध्यम से भाषा व गणित ज्ञान कराए जाने के साथ ही उनके समग्र विकास पर जोर दिया गया। खण्ड विकास अधिकारी हर्रैया विनय कुमार द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से तीन से 6 साल के बच्चों के समग्र विकास पर जोर दे रही है। आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय के समन्वय से संचालित बाल वाटिका छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु अत्यंत प्रभावी है।

खंड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद ने कहा कि बाल वाटिका के प्रभावी संचालन हेतु कार्य योजना का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन किया जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वांडर बाक्स तथा अन्य सामग्रियों सहित खेल के समानों का समुचित प्रयोग किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्री शीला सिंह तथा अनीता ने बच्चों को अंक ज्ञान के सरल तरीके सुझाए। एआरपी संतोष शुक्ल तथा मनोज मिश्र, शिक्षक संकुल योगेश सिंह, सुपरवाइजर नीता वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रत्येक न्याय पंचायत के पांच निपुण बच्चों को स्टेशनरी किट देकर पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर राजकुमार तिवारी, प्रमोद कुमार तिवारी, विकास पाण्डेय, विपिन शुक्ला, भारती शुक्ला, अखिलेश सिंह, लवकुश त्रिपाठी, पीयूष मिश्र,अशोक वर्मा, इश्तियाक अहमद, सूर्य प्रकाश सिंह, अरुण कुमार शुक्ल, गुलाम अशरफ, विश्वजीत गुप्ता, श्रवण कुमार मिश्र, बालकृष्ण मिश्र, राम भवन, छोटेलाल,हरि सिंह, मनोज उपाध्याय ,जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी, विवेक कांत पांडेय, नईमुद्दीन, आनंद कुमार, मनोज कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।

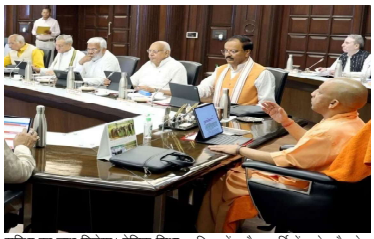

शिक्षकों, शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा समेत 30 प्रस्तावों पर लगी योगी कैबिनेट की मुहर

लखनऊ (आभा)। यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी है।पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब दो घंटे तक हुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर भी मुहर लगी है। नौ फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया है। 11 को बजट पेश होगा।

योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही रसोइयों और कार्मिकों को भी कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा दी है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के साथ–साथ शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के स्टाफ और रसोइयों (पीएम पोषण योजना) को सपरिवार कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा के कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 लाख 97 हजार 589 को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सीएम फैलो को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर भारांक मिलेंगे।

बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अपने–अपने जनपदों में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला बनाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। गोरखपुर में ध्721 करोड़ और वाराणसी के 18 वार्डों के लिए 266 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी दी गई है। लखनऊ–हरदोई बॉर्डर पर बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए 458 करोड़ से अधिक की जलापूर्ति योजना को पास कर दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि और सुविधाओं की व्यवस्था को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली में संशोधन के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की आर्थिक समीक्षा, आर्थिक वृद्धि दर 6.8 से 7.2ः रहने का अनुमान

नई दिल्ली (आभा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को लोकसभा में वर्ष 2025–26 की आर्थिक समीक्षा पेश की। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए।

उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी उल्लेख किया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सीतारमण आगामी रविवार, एक फरवरी को वित्त वर्ष 2026–27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

संसद के वर्तमान बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। इसी चरण में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सदन की बैठक दोबारा नौ मार्च को शुरू होगी और दूसरे चरण की समाप्ति के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत इस वर्ष पूरी होने की उम्मीद है। इससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम हो सकती है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया।

बजट से पहले पेश 2025–26 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत के लिए वैश्विक परिस्थितियां तात्कालिक व्यापक आर्थिक दबाव के बजाय बाहरी अनिश्चितताओं में तब्दील हो रही हैं। प्रमुख व्यापार साझेदार देशों में धीमी वृद्धि, शुल्क के कारण व्यापार बाधा और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता समय–समय पर निर्यात और निवेशक धारणा पर असर डाल सकती है। बजट से पहले पेश समीक्षा में कहा गया है, 'कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत है। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को जारी आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई।

अजित पवार पंचतत्व में विलीन

मुम्बई (आभा)। एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद अब महाराष्ट्र का अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम रहे अजित पवार का निधन बुधवार सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में हो गया। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनसीपी ने राज्य का अगला डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नाम को डिप्टी सीएम के लिए प्रस्तावित करने वाली है।

टीचर्स गाइड्स माड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन में चल रहे टीचर्स गाइड्स मॉड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सम्पन्न हुआ। जिसमें जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अंग्रेजी विषय के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित कर प्रशिक्षण का समापन किया गया। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे नई शिक्षण विधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। प्रशिक्षण के नोडल डायट प्रवक्ता डॉ रविनाथ त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों में तर्कसंगत विचार, चिंतन और शिक्षण कौशल का विकास करना है।

इस अवसर पर डॉ गोविन्द प्रसाद, वंदना चौधरी, डॉ ऋचा शुक्ला, मो. इमरान खान, सरिता चौधरी, कल्याण पाण्डेय, शशि दर्शन त्रिपाठी, कुलदीप चौधरी, अमन सेन आदि उपस्थित रहे।

यूजीसी के नये नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने की सराहना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–कायस्थ सेवा ट्रस्ट ने किया नियम वापस लेने की मांगः भेजा ज्ञापन

बस्ती। गुरूवार को कायस्थ सेवा ट्रस्ट जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए लाए गए यूजीसी के नए नियमों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

कायस्थ सेवा ट्रस्ट संस्थापक अजय कुमार श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि यद्यपि की सर्वोच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च निश्चित की गई है किन्तु खतरा अभी टला नहीं है। सरकार को स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण देना होगा जिससे भेदभाव पैदा करने वाला नियम पूरी तरह से वापस हो।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के दौरान मुख्य रूप से नवीन श्रीवास्तव, आलोक कुमार श्रीवास्तव, आदर्श श्रीवास्तव, राजेश चित्रगुप्त, दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश मोहन श्रीवास्तव, विवेक कुमार, नीतेश श्रीवास्तव, सर्वेश श्रीवास्तव, आलोक, अनिल कुमार श्रीवास्तव, नीतेश, विवेक, सन्तोष, विनय, देवेन्द्र, अभिमन्यु, आनन्द, राजू के साथ ही कायस्थ सेवा ट्रस्ट के अनेक पदाधिकारी, सदस्य शामिल रहे।

तीन दिवसीय स्काउट गाइड शिविर सम्पन्न उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली टीमें पुरस्कृत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हर्रैया कस्बे के हाजी मोहम्मद अमीन इण्टर कॉलेज में प्रधानाचार्य के एन वर्मा की देखरेख में चल रहे तीन दिवसीय स्काउट गाइड शिविर प्रथम सोपान का गुरुवार को समापन हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व प्रधानाचार्य एमडी ओझा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर समापन सत्र का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी प्रेम शंकर ओझा, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष रवीश कुमार मिश्र, जिला संगठन मंत्री विवेक कान्त पाण्डेय रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य की अगुवाई में माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि स्काउट–गाइड प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, नेतृत्व क्षमता और नैतिक आचरण विकसित होता है। कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखते बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक और समाज के लिए उपयोगी स्वयंसेवक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। विशिष्ट अतिथि विवेक कान्त पाण्डेय और अन्य ने कहा कि स्काउट और गाइड एक शैक्षिक युवा आंदोलन है, जो बच्चों और युवाओं को अच्छा नागरिक बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने स्काउट गाइड से समाज और दूसरों की मदद के लिए आगे आने, भाईचारे, श्रमदान और शांति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं को समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिला संगठन कमिश्नर स्काउट प्रताप शंकर पाण्डेय, विजय कश्यप, आदर्श मिश्र, ट्रेनिंग काउंसलर गाइड नंदनी की देखरेख में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट–गाइड के प्रथम सोपान के अंतर्गत ध्वज शिष्टाचार, मार्च पास्ट, ड्रिल, स्काउट प्रतिज्ञा एवं नियम, टोली पद्धति, प्राथमिक चिकित्सा, गांठें एवं बंधन, मैप रीडिंग, अनुशासन अभ्यास, सामूहिक खेल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जानकारी तथा सेवा कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। शिविर समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोली और प्रशिक्षण में लगे स्टाफ को पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर प्रबन्धक अब्दुल रब, मोहम्मद शहजाद, केके सिंह, सुरेंद्र प्रताप मिश्र, प्रतिभा शुक्ला, सत्यदेव पाण्डेय, श्री राम मौर्य, राजकुमारी दूबे, मनीष शुक्ला, दीपक सिंह, शिवम सिंह, सर्वेश पाण्डेय, पूजा तिवारी, शालिनी श्रीवास्तव, दीपक गुप्ता आदि मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 30 जनवरी 2026 शुक्रवार

सम्पादकीय

शिक्षा के नाम पर हिंसा

शिक्षा के नाम पर क्रूरता की स्थितियां खतरनाक हैं। आखिर समाज और अभिभावक किस दिशा की ओर जा रहे हैं। पिछले दिनों फरीदाबाद में ठीक से पढ़ाई न कर सकने वाली बच्ची की पिता द्वारा पिटाई करने से हुई मौत की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। यह विश्वास करना कठिन है, कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि महज गिनती न सीख पाने के कारण बच्ची की जान ले ले। यदि इस घटना के पीछे कोई परोक्ष कारण नहीं है तो निश्चय ही यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक ही कही जाएगी। यह शर्म की बात ही है कि इस ज्ञान की सदी में किसी बच्ची की पिता के हाथों पढ़ाई के नाम पर मौत हो जाए। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज में मानसिक ग्रंथि की वह गांठ नहीं खुल पाई है, जो मानती है कि डर व मारपीट से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे स्कूलों व घरों तक में सामने आती हैं। यदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे–बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा। लेकिन जब घर में माता–पिता ही हिंसक व्यवहार करने लगें तो मासूम किसके भरोसे रहेगा... कहने को देश में बच्चों के साथ होने वाले किसी भी हिंसक व्यवहार को रोकने के लिये तमाम तरह के प्रावधान सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब प्रवर्तन एजेंसियां ही उदासीन रहेंगी तो समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। पहले तो स्कूलों में ही ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, फिर यदि मामला पुलिस या संबंधित विभाग के संज्ञान में आता भी है तो उसे रफा–दफा करने के प्रयास तेज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिसमें अकसर शिक्षण संस्था के सुर में बोलने वाले अभिभावकों को ही रखा जाता है। आज भी यह एक गंभीर समस्या है और इसके गंभीर समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी यह सोच बलवती है कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार से उनकी पढ़ने–लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी आक्रामक व्यवहार से बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश व दुनिया में हुए तमाम शोध व अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व आक्रामक व्यवहार किए जाने से बच्चों की एकाग्रता व यादश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जिसका नकारात्मक असर यह होता है कि बच्चे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कालांतर यह भय व कुंठा जीवनभर उनका पीछा करती है। उनका आत्मविश्वास डिग जाता है। तब वे जीवन की स्पर्धा में भी दब्बू बनकर रह जाते हैं। यह भी विडंबना ही है कि आज भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोपने से पहले हमारे यहां किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता है कि बच्चे की अभिरुचि किन विषयों में है। सही मायनों में हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुदरत उसकी रचना किसी खास मकसद के लिये करती है। लेकिन मां–बाप व शिक्षक पहचान नहीं पाते कि उसका रुझान किस दिशा में है। यदि समय रहते बच्चे की उस प्रतिभा को पहचाना जा सके और उस विषय व दिशा में उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वे अप्रत्याशित रूप से किसी भी क्षेत्र में शिखर की सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कई तरह के जन्मजात व आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उनकी सामान्य पढ़ाई में बाधक हो सकता है। कई बच्चों में जन्म से ही दृष्टि दोष या कोई अन्य शारीरिक व मानसिक विकार भी हो सकता है, जिसके चलते वे अपनी पढ़ाई को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। फलतः उन्हें शिक्षकों व परिजनों के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। आज बच्चों को संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।

पत्रकारिता की कसौटी पर खरे उतरे मार्क–टली

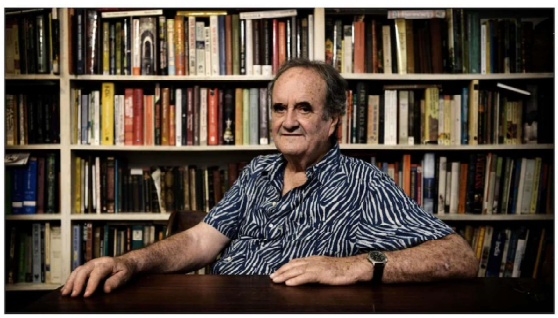

विश्वनाथ सचदेव

किसी भी पत्रकार के लिए मार्क टली जैसा विश्वास पाना किसी तमगे से कम नहीं है। वैसे उन्हें तमगे भी कम नहीं मिलेदृ भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री और पदमभूषण सम्मान से सम्मानित किया और इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें 'सर' का खिताब दिया। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि मुझे बीबीसी के भारत स्थित संवाददाता स्वर्गीय मार्क टली से मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, पर हकीकत यह भी है कि मैं पिछले चार–पांच दशकों में उनसे अक्सर मिलता रहा हूं। यह मिलना बीबीसी रेडियो के माध्यम से होता था। दशकों से रेडियो बीबीसी विश्वसनीय खबरों का एक पर्याय बन चुका हुआ था, और मेरे जैसे लाखों–करोड़ों श्रोता बीबीसी के माध्यम से ही खबरों की विश्वसनीयता परखा करते थे। बीबीसी को यह श्रेय जहां संस्थान की रीति–नीति के कारण मिलता था, वहीं सर मार्क टली जैसे सजग और ईमानदार पत्रकारों ने बीबीसी की विश्वसनीयता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

अब मार्क टली हमारे बीच नहीं हैं। भारत में ही जन्मे सर टली के निधन से ईमानदार पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे बीच से उठकर चला गया। वे चाहते थे कि उनका निधन भारत में ही हो और यह संयोग मात्र नहीं है कि भारत के बनते इतिहास का यह साक्षी अपनी जन्मभूमि से ही विदा हुआ। आज जब रेडियो के माध्यम से समय की सच्चाई जानने वाले श्रोता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ ही उस पत्रकारिता की बात भी होनी चाहिए, जिसके लिए वह जाना जाता रहा। और यह अवसर इस बात का भी है कि हम पत्रकारिता, विशेषकर भारत की पत्रकारिता के बारे में भी सोचें, यह आकलन करने की कोशिश करें कि आज हमारी पत्रकारिता की स्थिति क्या है, और जैसी है, वैसी क्यों है?

अच्छी और सच्ची पत्रकारिता की शायद सबसे बड़ी कसौटी यह है कि विश्वसनीयता के संदर्भ में वह कहां ठहरती है। था एक जमाना जब यह माना जाता था कि अखबार में यदि कुछ छपा है तो वह सही ही होगा, जो अखबार जितनी ज्यादा तटस्थ और सही खबरें देता था, वह उतना ही बेहतर माना जाता था। अब जबकि अखबार के साथ टेलीविजन और सोशल मीडिया भी खबरों की दुनिया का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा कहा जाना चाहिए, बन गया है, तो विश्वसनीयता का महत्व और बढ़ जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा पहुंच है, उससे उतनी ही ज्यादा ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। यह ईमानदारी ही मीडिया के कद को नापती है।

मुझे याद है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या हुई तो राजीव गांधी दिल्ली से बाहर (बंगाल में) थे। तब उन्होंने बीबीसी रेडियो के माध्यम से ही समाचार की पुष्टि की थी। ज्ञातव्य है कि ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) ने तो शाम छह बजे तक उनकी मृत्यु की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। कारण कुछ भी बताये जायें, पर यह हकीकत अपनी जगह है कि राजीव गांधी को तब इंग्लैंड का बीबीसी रेडियो ही विश्वसनीय लगा था। यह तथ्य जहां बीबीसी के महत्व को दर्शाता है, वहीं इस बात को भी रेखांकित करता है कि मीडिया की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यह दुर्भाग्य ही है कि आज हमारा रेडियो सरकारी सूचनाओं का भोंपू बनकर रह गया है! दुर्भाग्य यह भी है कि आज हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा विश्वसनीयता के संकट का शिकार हो गया है।

लगभग आधी सदी पहले जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उसका सबसे बुरा असर मीडिया पर ही पड़ा था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गयी थी, कुछ भी छापने से पहले सरकारी एजेंसियों से अनुमति लेनी होती थी। उस कठिन समय में जिन गिने–चुने साहसी पत्रकारों ने सरकार के इस आदेश का पालन करने से इनकार किया, उनमें बीबीसी रेडियो के भारत स्थित संवाददाता मार्क टली का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। तब उन्हें चौबीस घंटे में भारत छोड़कर जाने का आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था। सरकार के आगे घुटने टेकने के बजाय मार्क टली ने अपने देश लौट जाना बेहतर समझा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाये रखने के लिए वे इंग्लैंड लौट गये। पर सरकार उनकी वाणी पर प्रतिबंध नहीं लगा पायी थी। लंदन में रहते हुए भी वह भारत स्थित अपने सूत्रों से सही सूचनाएं प्राप्त करते रहेकृ भारत समेत दुनिया भर के श्रोताओं तक उन्हें पहुंचाते रहे।

यह सही है कि उस काल की भारत की पत्रकारिता पर अपयश के काले धब्बे लगे थे। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने तब कहा था, 'जब हमारे पत्रकारों को घुटने टेकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे थे।' पर सच यह भी है कि उस स्थिति के लिए सिर्फ पत्रकार ही दोषी नहीं थे, पत्रकारों से कहीं ज्यादा डर तब मीडिया–मालिकों, प्रबंधकों को था। लेकिन यह कथित विवशता आपातकाल में हमारी पत्रकारिता पर लगे धब्बों को नहीं मिटा सकती। दुर्भाग्य की बात तो यह भी है कि आज भी हमारी पत्रकारिता पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है। मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज 'गोदी मीडिया' कहलाता है। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है।

बीबीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मार्क टली ने भारत को ही अपना देश बनाया। वे भारत और भारत की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते थे, और उनका मानना था कि जनता तक सही और समुचित जानकारी पहुंचाना पत्रकारिता का दायित्व है। उनका स्पष्ट कहना था कि पत्रकारिता का एक ही नियम है अपने आप से यह पूछिए कि कोई आप पर क्यों विश्वास करता रहे। यदि आप दिमाग में यह सवाल बनाए रखेंगे तो स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप रिपोर्ट कैसे करें। एक बार यदि विश्वास टूट जाये तो फिर से प्राप्त करना लगभग असंभव है। जितना आप सत्ता के निकट रहेंगे, इस विश्वास पर उतना अधिक जंग लगेगा।

पत्रकार टली सत्ता के नहीं, जनता के निकट रहना पसंद करते थे। उनकी संवेदना जनता के ही निकट रहती थी, पर इस बात का भी ध्यान उन्हें हमेशा रहा कि संवेदना भावुकता का रूप न ले ले। जनता से उनकी निकटता का यह परिणाम था कि जनता के मूड या भावना को वह आसानी से समझ जाते थे। उनके साथी पत्रकार अक्सर उनके इस गुण की चर्चा किया करते थे। यह जनता से उनकी निकटता का ही परिणाम (या प्रमाण) है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक दौरे के दौरान एक ग्रामीण ने उनके साथियों से कहा 'टली साहब कह रहे हैं तो सच ही होगा!' किसी भी पत्रकार के लिए इस तरह का विश्वास पाना अपने आप में किसी तमगे से कम नहीं है। वैसे उन्हें तमगे भी कम नहीं मिलेदृ भारत सरकार ने उन्हें पदमश्री और पदमभूषण सम्मान से सम्मानित किया और इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें 'सर' का खिताब दिया। दो सरकारों द्वारा इस तरह से सम्मानित करना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि से कम नहीं है, पर सर मार्क टली के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार अपने पाठकों–श्रोताओं का विश्वास प्राप्त करना था। इस तरह विश्वास अर्जित करने वाले पत्रकार कम ही होते हैं। यह विश्वास ही सच्ची–अच्छी पत्रकारिता की पहचान है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

एक भारत, एक कानून की नीतिगत कसौटी के निहितार्थ

— कमलेश पाण्डेय—

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए एक भारत, एक कानून की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से 'एक देश, एक कानून' की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी।

यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं, लेकिन राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है। योगी हैं तो यकीन भी किया जा सकता है। शाह हैं तो चिल्लपों भी नहीं मचेगा, ऐसा जनविश्वास है। जहां तक संघीय ढांचे की चुनौतियों की बात है तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन (केंद्र, राज्य, समवर्ती) एक देश, एक कानून की राह का एक बड़ा रोड़ा समझा जाता है। उदाहरणतया पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय राज्य सूची में हैं, जिनमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा बिना संशोधन के। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 246 इस विभाजन को मजबूत बनाता है, जो एकसमान कानून लागू करने में राज्यों की सहमति या संविधान संशोधन की मांग करता है।

वहीं, मौलिक अधिकारों का टकराव भी संभाव्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 के नीति–निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर जोर दिया है (जैसे शाह बानो मामले में), लेकिन संघीय विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

वहीं, व्यावहारिक और न्यायिक अड़चनों की बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका (अनुच्छेद 214) होने के बावजूद, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और लंबित मामलों (5 करोड़ से अधिक) की भारी संख्या एकसमान कानून के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी हो सकती है, जो राजनीतिक मतभेदों से अवरुद्ध रहती है।

जहां तक संभावित प्रभाव की बात है तो ये अड़चनें वास्तव में संविधान की विविधता–समर्थक भावना को दर्शाती हैं, जो एकता के साथ बहुलवाद को संतुलित रखती हैं। हालांकि, डिजिटल युग में एकसमान कानून आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिना व्यापक सहमति के यह संघीय तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारों को इस बाबत आम सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक कानून में ही न केवल देश, बल्कि दुनिया का भी हित निहित, अंतर्निहित है।

देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था पर ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर समानता के अधिकार को मजबूत करके, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में यह टकराव पैदा कर सकता है। हालांकि, धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक है। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति–निर्देशक सिद्धांत राज्य को एकसमान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करने को कहता है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ता है।

जहां तक समानता अधिकारों पर प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा, क्योंकि यह धर्म–आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का सम्यक समाधान हो सकता है, जो महिलाओं के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को प्रभावित करते हैं। हालांकि, यदि गलत तरीके से लागू हुआ तो यह अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव का आरोप लगा सकता है।

जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात है तो अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन का अधिकार देते हैं, जो यूसीसी से टकरा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो और सारला मुद्गल मामलों में यूसीसी की आवश्यकता बताई, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न मानते हुए संतुलित किया। फिर भी जनजातीय रीति–रिवाजों वाली समुदायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है।

जहां तक अन्य मौलिक प्रावधानों पर यूसीसी के प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त बनाएगा, क्योंकि यूसीसी पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देगा और न्याय प्रक्रिया को सरल करेगा। लेकिन समवर्ती सूची के विषय होने से राज्य स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, जो संघीय ढांचे से जुड़ी मौलिक भावना को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर, यूसीसी मौलिक अधिकारों को आधुनिक संदर्भ दे सकता है यदि सहमति–आधारित हो तो।

यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया है, बल्कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। भले ही कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यूसीसी के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कार्यपालिका को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जहां तक कोर्ट के रुख की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में यूसीसी लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यह विधायी मामला है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मार्च 2023 में छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यूसीसी संसद बनाएगी। इससे पहले आये निम्नलिखित प्रमुख फैसले में भी यूसीसी की चर्चा है। शाह बानो (1985), सरला मुदगल (1995), और जॉन वल्लामट्टम (1997) जैसे मामलों में कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन निर्देश नहीं दिए। इसी प्रकार जनवरी 2023 में उत्तराखंड यूसीसी समिति को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज हुईं।

जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है तो जनवरी 2026 तक कोई नया निर्देश नहीं आया क्योंकि कोर्ट यूसीसी को अनुच्छेद 44 के नीति–निर्देशक सिद्धांत के रूप में देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर देता है। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने 2024 में राज्य–स्तरीय यूसीसी लागू किया। समझा जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी–शाह इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

हालांकि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर समी जनहितकारी मामलों में यदि एक देश, एक कानून जैसे अग्रगामी प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो विगत 100 सालों से अनवरत रूप से जारी फूट डालो, शासन करो की नीति का जड़मूल से खात्मा हो जाएगा। यद्यपि मुट्ठी भर चतुर सुजान विदेशी टुकड़े पर विरोध अवश्य करेंगे लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू–कश्मीर में धारा 370 हटवाकर एक विधान, एक निशान की राष्ट्रीय नीति लागू करवा सकते हैं तो उनके लिए एक देश, एक कानून को मूर्त रूप देना–दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस की नीति साफ और नीयत स्पष्ट हो।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

शहरों के बीच सिमटता बचपन

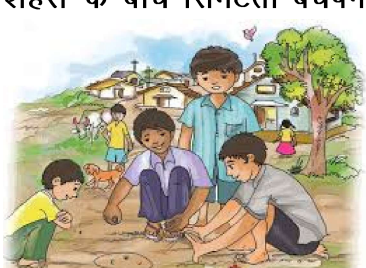

—पुनीत उपाध्याय—

बढ़ते शहर चाहे विकास का प्रतीक बनकर उभरे हों लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी सामने आया है जो सीधे बच्चों से जुड़ा है। तेजी से शहरीकरण के कारण शहरों में बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह लगातार या तो कम होती जा रही है या बची ही नहीं है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में इसे उजागर करते हुए कहा है कि दुनिया की करीब 44 फीसदी शहरी आबादी ही खुले सार्वजनिक स्थान के पास रह रही है। **गरीब देशों में तो यह आंकड़ा महज 30 फीसदी ही है जहां लाखों बच्चों के पास खेलने और सांस लेने की सुरक्षित जगह नहीं है।** ऊंची इमारतों के बीच बच्चों की दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। कंक्रीट के जंगल में खेलनेए दौड़ने और खुलकर सांस लेने की जगहें खत्म हो रही हैं। डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावास एजेंसी ने एक नई वैश्विक गाइड लाइन जारी की है जो शहरों को बच्चों के अनुकूल बनाने की जरूरत पर जोर देती है। सरकारों और नेताओं से अपील की गई है कि वे शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं बनाते समय बच्चों को केंद्र में रखें क्योंकि सार्वजनिक स्थान बच्चों के स्वास्थ्य विकास और बेहतर भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं।

अच्छी तरह डिजाइन किए गए पार्क, सड़कें और खुले मैदान बच्चों को सुरक्षित तरीके से चलने, खेलने, सीखने और प्रकृति से जुड़ने का मौका देते हैं। साथ ही ये जगहें शहरों को ज्यादा समावेशी, सुरक्षित और जलवायु.अनुकूल भी बनाती हैं।आज दुनिया की 55 फीसदी से ज्यादा आबादी शहरों में रह रही है और 2050 तक यह आंकड़ा 68 फीसदी तक पहुंच सकता है। इस दौरान सबसे तेज शहरीकरण विकासशील देशों में होगा। यानी आने वाले वर्षों में ये शहर तय करेंगे कि करोड़ों बच्चों का बचपन कैसा होगा।

गाइड लाइन बताती है कि सार्वजनिक स्थान बच्चों की भलाई और विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि बच्चों का सर्वोत्तम विकास खुली जगहों और सुविधाओं, हरित क्षेत्रों, **सुरक्षित और साफ सड़कों, स्वच्छ हवाए बाहरी गतिविधियों और स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से घूमने की क्षमता तक पहुंच से मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक स्थान बच्चों की खेलने की जरूरतों और अधिकारों को पूरा करने में मदद करते हैं साथ ही उनके सामाजिक और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी का समर्थन करते हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। उनके सीखने, प्राकृतिक दुनिया में सामाजिककरण, सक्रिय जीवनशैली और स्वस्थ व्यवहार का समर्थन करते हैं। ऐसे स्थान नागरिकता को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये समुदाय जीवन में अनौपचारिक भागीदारी की अनुमति देते हैं और बच्चों की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।**

1901 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 11.4 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना तक बढ़कर 28.53 फीसदी हो गई। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में यह वर्तमान में 34 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक देश की 40.76 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है।

एफआरएस के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–महराजगंज। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले गुरुवार को जिला मुख्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं ने एफआरएस (फेस कैप्चर सिस्टम) सहित लंबित मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना–प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष छाया भारती व अमीरून निशा ने किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री के संबोधित दस सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष छाया भारती ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां दशकों से पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ–शिशु देखभाल जैसे अहम कार्यों के साथ–साथ बीएलओ व चुनाव ड्यूटी जैसे अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है और न ही सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार नई जिम्मेदारियां तो सौंप रही है, लेकिन अधिकार, सुविधाएं और सुरक्षा देने के मामले में टालमटोल कर रही है। एफआरएस जैसी व्यवस्थाएं थोपकर कार्यकर्त्रियों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष अमीरुन्निशा ने चेतावनी देते कहा कि यदि सात मार्च तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां काम व ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करेंगी। इसके बाद आठ मार्च को लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की होगी। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान लागू करने, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता, मेडिकल अवकाश, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, पदोन्नति की व्यवस्था, पोषण ट्रैकर के लिए 5जी मोबाइल व डाटा भत्ता, प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल करने, किराये के केंद्रों का उचित भुगतान, गुणवत्तायुक्त पोषाहार, अन्य विभागीय कार्यों से मुक्ति और नियमित सरकारी बैठकों की मांग प्रमुखता से उठाई। इस दौरान सतेन्द्र कुमार पटेल, राधेश्याम मौर्य, प्रमिला, माधुरी, राजमति, नगेन्द्र दूबे, इस्तखार खान, भानू शुक्ला, संजू भारती, संगीता, सरोज, अख्तर जहां, नाजमा, परवेज आलम, जावित्री, आयशा वेगम, विनीता, ज्ञानमति, सुशीला, द्वारिका, सीमा विश्वकर्मा, शशिकला, प्रेमचन्द्र आदि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रहीं।

थाईलैंड की महारानी का सोनौली में स्वागत

संवाददाता–महराजगंज। थाईलैंड की महारानी चखुन सिनीनात वांगवजीरापकडी गुरुवार को तीन घंटे सोनौली में रहीं। लुंबिनी जाते समय सोनौली के 960 थाई बौद्ध विहार में उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां तीन घंटे रुकने के बाद महरानी लुंबिनी चली गईं। लुंबिनी में वे माया मंदिर का दर्शन करेंगी। इसके बाद चार्टेड जहाज से थाईलैंड चली जाएंगी। सोनौली में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचीं महारानी का सबसे पहले स्वागत किया गया। फिर उन्होंने विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने विहार के कर्मचारियों से बात कर उनको गिफ्ट प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार, सीओ अंकुर गुप्ता और एसएसबी के अधिकारियों की टीम सुरक्षा में लगी रही। 70 सदस्यीय ग्रुप के साथ यात्रा पर हैं महारानी थाईलैंड की महारानी 70 सदस्यीय ग्रुप के साथ बौद्ध गया, कुशीनगर की यात्रा के बाद गुरुवार को सोनौली होते हुए नेपाल गईं। 960 थाई बौद्ध विहार के मैनेजर राजेश शुक्ला ने बताया कि महारानी चार्टेड जहाज से थाईलैंड से भारत आई थीं।

पुलिस ने स्कॉर्पियो से 10 पेटी अवैध शराब पकड़ी

संवाददाता–देवरिया। श्रीरामपुर पुलिस ने गुरुवार तड़के वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो से 10 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। हालांकि, पुलिस को देखकर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। थानाध्यक्ष डॉ. महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम गुरुवार की भोर में क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बिहार जाने वाली सड़क पर चित्रसेन बनकटा बॉर्डर पर बासोपट्टी पेट्रोल पंप से दक्षिण दिशा में स्थित एक पंचर की दुकान के पास पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को अपनी ओर आते देख वाहन चालक स्कॉर्पियो को सड़क किनारे छोड़कर बांसोपट्टी गांव की ओर झाड़ियों में भाग निकला। पुलिस टीम ने चालक को दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका।

इंडो-नेपाल बार्डर पर नशे की खेप के साथ गैंगस्टर को पुलिस ने दबोचा

संवाददाता–महराजगंज। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोल्हुई पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर टीम ने ग्राम बटईडीहा के पास से दवाओं के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पकड़ा गया आरोपित पहले भी कई गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस व गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस कार्यालय के मीडिया सेल के अनुसार एसपी सोमेन्द्र मीना के निर्देश पर जनपद की सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। सीओ फरेन्दा बसन्त सिंह के नेतृत्व में थाना कोल्हुई पुलिस व एसएसबी की 66वीं वाहिनी की टीम ग्राम बटईडिहा के पास बार्डर क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप लेकर निकलने वाला है। टीम ने सतर्कता बरतते हुए घेराबंदी की। आरोपित आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद प्लास्टिक के झोले से 150 प्रतिबंधित एम्पुल दवा बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट में जेल जा चुका है आरोपित पुलिस कार्यालय के मुताबिक आरोपित आमिर सोनौली कोतवाली क्षेत्र सुकरौली का रहने वाला है। उसके पास से ब्यूप्रेनोरफिन इंजेक्शन आईपी (50 एम्पुल), सेरीजैक डायजेपाम इंजेक्शन आईपी (50 एम्पुल) व एबट प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन (50 एम्पुल) बरामद हुए हैं। आरोपित का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पहले भी एनडीपीएस एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ थाना सोनौली वकोल्हुई में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस व एसएसबी की इस टीम ने कार्रवाई नशीली दवाओं के साथ आरोपित को पकड़ने वाली संयुक्त टीम में कोल्हुई थाना के एसएसआई सत्य प्रकाश त्रिपाठी, एसआई राजीव कुमार सिंह, नागेन्द्र कुमार, कांस्टेबल विवेक कुमार चौबे व अमित यादव के अलावा एसएसबी के एएसआई अमित शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रविन्द्र कुमार दूबे व अन्य जवान शामिल रहे। कोल्हुई पुलिस का कहना है कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत–नेपाल सीमा के पास नशीली दवाओं के साथ एक आरोपित को पकड़ा है।

रेलवे ट्रैक पर मिला शिक्षक का शव

संवाददाता–देवरिया। सदर कोतवाली के पिपरपाती के समीप रेलवे ट्रैक से परिषदीय विद्यालय के एक शिक्षक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजन बीएलओ के कार्य के चलते ज्यादा दबाव में होने के चलते ऐसा कदम उठाने का आरोप लगा रहे हैं। खामपार थाना क्षेत्र के रहने वाले जयश्याम प्रसाद (42) परिषदीय विद्यालय में शिक्षक थे और इन दिनों उनकी तैनाती परिषदीय विद्यालय डेमुसा में थी। शहर के तिलई बेलवा के समीप मकान बनवा कर रहते थे। बुधवार की शाम वह घर से टहलने के लिए निकले। लेकिन देर रात तक वह लौट कर घर नहीं आए। देर रात किसी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि पिपरपाती के समीप रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों का आरोप है कि वह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे और बीएलओ का कार्य भी देख रहे थे।

गुरु–शिष्य परंपरा को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, शिष्य ने जताई आपत्ति

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। हनुमानगढ़ी क्षेत्र स्थित पुरानी गौशाला, नगर हवेली, अवध तहसील से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें गुरु–शिष्य परंपरा को लेकर गलत सूचना प्रकाशित किए जाने का आरोप लगाया गया है। कमल दास (आयु लगभग 27 वर्ष), जो आनंद दास उर्फ रामानंद दास के शिष्य हैं, ने कहा है कि वे पिछले लगभग 20 वर्षों से अपने गुरु के सान्निध्य में रहकर धार्मिक शिक्षा–दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर सेवा में लगे हुए हैं।कमल दास के अनुसार, वे लगभग आठ वर्ष की आयु में अयोध्या आए थे और तभी से अपने गुरु के स्थान पर रहकर हनुमान जी महाराज की भजन–कीर्तन, पूजा–अर्चना एवं सेवा कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड सहित सभी वैधानिक दस्तावेजों में गुरु का नाम दर्ज है, जिससे उनका गुरु–शिष्य संबंध स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है।कमल दास ने आरोप लगाया कि 29 जनवरी 2026 को उनके गुरु को भ्रमित कर एक सूचना प्रकाशित कराई गई, जो उनके अनुसार पूर्णतः सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि उक्त सूचना प्रकाशित करने से पहले न तो उनका पक्ष लिया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार की जानकारी दी गई।शिष्य का कहना है कि वे विधिवत आसन में रहकर गुरु सेवा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को साजिश करार देते हुए सवाल उठाया है कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश किसके द्वारा और किस उद्देश्य से की गई।फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और तथ्यों की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

आईजी रेलवे ने नौतनवा रेलवे स्टेशन और पुलिस चौकी का किया निरीक्षण

संवाददाता–महराजगंज। आईजी रेलवे गोरखपुर सत्यप्रकाश ने गुरुवार को नौतनवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर पुलिस चौकी एवं रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। साथ ही ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को परखा। आईजी ने आरपीएफ के जवानों को निर्देशित करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा हमारे लिए सर्वोपरि है। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आईजी ने पुलिस चौकी का निरीक्षण कर रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आरक्षित कोच में अनाधिकृत रूप से घुसकर यात्रा करने एवं यात्रियों को परेशान करने वालों पर नजर रखने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रा के लिए आने वाले बुजुर्ग, महिला व बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। नेपाल सीमा से लगा हुआ नौतनवा रेलवे स्टेशन काफी संवेदनशील स्टेशन है। ट्रेनों के आवागमन के दौरान पूरी सतर्कता से निगरानी की जाए। आईजी ने अपराधी रजिस्टर की जांच की और अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर कार्य करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने देश को बड़े संकट से बचाया –बृजभूषण सिंह

संवाददाता–गोण्डा। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रोक के आदेश से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गदगद हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को देश के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो यह मामला पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था। उन्होंने अदालत के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक शांति बनाए रखने में अहम साबित हुआ है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी के नए कानून से देश का सामाजिक ताना–बाना बिगड़ने की आशंका थी,

जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे नियम बिना व्यापक विमर्श के लागू करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता था। वर्तमान कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह ने दोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाकर देश को संभावित अशांति और विभाजन से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर देशवासियों का भरोसा कायम है और यह फैसला उसी भरोसे को मजबूत करता है। वहीं दूसरी ओर गोंडा सदर से भाजपा विधायक और करण भूषण सिंह के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जाति से जुड़े नियम अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे पूर्व, बृजभूषण शरण सिंह ने इस कानून को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के हालिया नियमों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति–आधारित भेदभाव की गैर–समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा समानता समितियां गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा

संवाददाता–अयोध्या। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि रामलला को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, अयोध्या को प्रणाम और मां सरयू को प्रणाम।यूजीसी के नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही रामलला का भव्य मंदिर बना है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा, वह सभी के लिए खुशी की बात होगी। शंकराचार्य से मुलाकात के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करना किसी भी गृहस्थ, किसी भी रामभक्त और किसी भी राष्ट्रभक्त का दायित्व है और उन्होंने वही किया है।मदरसा रेप कांड के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के बरी होने पर केशव मौर्य ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का विषय है।

वहीं, मोईद खान की संपत्ति पर बुलडोजर चलने को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, इसलिए कार्रवाई की गई। अयोध्या जिला जेल से दो कैदियों के फरार होने के मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें पकड़ने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख से अधिक बेसिक, माध्यमिक, वित्तविहीन शिक्षकों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, जिससे शिक्षक परिवारों में खुशी की लहर है।

यूजीसी के सुप्रीम रोक पर सवर्ण में खुशी की लहर

संवाददाता–संतकबीरनगर। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस–2026 पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 2012 के पुराने रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। इस मामले में सरकार से 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिले के खलीलाबाद , मेंहदावल में सवर्ण समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मेंहदावल में गुरुवार को तहसील गेट के सामने युवाओं ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर युवा अनुराग त्रिपाठी, सूरज त्रिपाठी, गोलू पाठक, रजनीकांत उपाध्याय, संगम पांडेय, अविनाश त्रिपाठी महाकाल, यशस्वी पांडेय, मनीष त्रिपाठी, संदीप पाठक और हरेंद्र उपाध्याय सहित अन्य ने अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाखों छात्रों के भविष्य की चिंता को समझा है। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और अधिकारों की रक्षा है। युवाओं ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक साथ खड़े सभी साथियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज बेकार नहीं गई और एकता की ताकत जीत में बदलती दिखी। यह फैसला न्याय और अधिकार की लंबी लड़ाई की मजबूत शुरुआत है।

अयोध्या कारागार में सेंध लगाकर दो कैदी फरार, जेलर सहित दस कारागार कर्मी निलंबित

संवाददाता–अयोध्या। जेल से बंदियों के फरार होने के प्रकरण में जेलर जितेंद्र कुमार यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी व आठ बंदी रक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के भी निलंबन की सूचना, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बुधवार की देर रात जिला कारागार की विशेष सुरक्षा बैरक में सेंध लगाकर दो बंदी कारागार से फरार हो गए। दोनों बंदियों ने बैरक की खिड़की की तोड़ी उसके बाद नीचे लगी ईंटों को उखाड़ा खुले परिसर में आए और उसके बाद गोशाला की ओर से दीवार फांद कर भाग निकले। आशंका है कि दोनों ने पोस्टमार्टम हाउस की ओर बनी मुख्य दीवार को फांद कर भागे हैं। हालांकि, जेल प्रशासन एवं पुलिस का कहना है कि वह जगह स्पष्ट नहीं हो सकी है, जहां से मुख्य दीवार फांद कर दोनों भागे हैं। दीवार फांदने के लिए बनाई गई रस्सी में बंदियों ने अपने कंबल और कपड़ों का उपयोग किया। सुबह प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशास के हाथ–पांव फूल गए। भागने वाले बंदियों में चोरी का आरोपित सुलतानपुर के करौंधी कला अमरे मऊ निवासी शेर अली और अमेठी के मुसाफिर खाना निवासी

एससीएसटी एवं पाक्सो एक्ट आरोपी सूरज उर्फ गोलू अग्रहरि है। शेर अली गत 28 नवंबर 2024 तथा गोलू गत 14 सितंबर 2025 से जेल में निरुद्ध था। दोनों का जेल में व्यवहार अच्छा न होने के कारण उन्हें विशेष सुरक्षा बैरक (तन्हाई) में रखा गया था। इस घटना ने जेल की सुरक्षा पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। 2012 में भी एक बंदी जेल की निगरानी को धता बताते हुए मेन गेट से निकल भागा था, जिसे बाद में पकड़ा गया। घटना की सूचना पाकर डीआइजी जेल एसके मैत्रेय ने भी कारागार पहुंच कर जांच–पड़ताल की। उन्होंने बताया कि इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। निगरानी में लापरवाही बरतने वाले जेल वार्डरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गोलू उर्फ सूरज अग्रहरि ने गत 31 अगस्त को इनायतनगर थाना क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति की बालिका के साथ छेड़छाड़ किया था। बालिका छत पर सो रही थी, तभी गोलू ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने उसे पकड़ कर जेल भेजा था। वहीं, शेर अली पर कोतवाली बीकापुर में अवैध हथियार रखने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। सुलतानपुर के जयसिंहपुर थाना में शेर अली के विरुद्ध गुंडा एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त उस पर जौनपुर के सरपताहा थाना में भी प्राथमिकी दर्ज है। दोनों बंदियों के फरार होने के मामले में कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

गैर–इरादतन हत्या के दो आरोपियों को सजा कोर्ट ने10–10 साल की कारावास की सजा सुनाई

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। बांसी में गैर–इरादतन हत्या के दो दोषियों ओमव्यास उर्फ सोनू शर्मा और सरिता को गुरुवार को अदालत ने 10–10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रत्येक पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार, दोनों पर एक व्यक्ति की हत्या करने और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप था। लंबी जांच और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसी ने उन्हें दोषी करार दिया। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को उचित दंड मिलेगा। उन्होंने इस फैसले को न्याय की कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण बताया। स्थानीय लोगों ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उनका मानना है कि ऐसी कार्रवाई समाज में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करेगी, साथ ही अपराधियों को हतोत्साहित करेगी। इस मामले में अभियोजक संतोष मिश्रा और कोर्ट के पैरोकार खुर्शीद आलम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनकी निरंतर मेहनत और मामले पर ध्यान केंद्रित करने के कारण ही दोषियों को सजा मिल पाई। जिले में गंभीर अपराधों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहलें चल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे न्यायिक फैसले अपराधियों के मनोबल को कमजोर करते हैं और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध करने वालों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। दोषियों को लंबी सजा और जुर्माने दोनों से यह संदेश गया है कि न्यायपालिका अपराध के मामलों में कोई ढील बर्दाश्त नहीं करेगी। गुरुवार को सुनाई गई इस सजा ने एक बार फिर यह स्थापित किया है कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते और न्याय प्रणाली हर अपराध का सख्ती से निपटारा करती है।

किसानों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के बघौली ब्लॉक स्थित जंगल कला गांव में प्रस्तावित आवास विकास कॉलोनी के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए दर्जनों किसानों ने गुरुवार सुबह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी कृषि भूमि अधिग्रहित न करने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण कर कॉलोनी निर्माण का प्रस्ताव दे रही है। उनके पास खेती योग्य सीमित जमीन ही बची है, जिससे वे अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। किसानों ने आशंका व्यक्त की कि यदि यह जमीन भी ले ली गई तो उनके सामने रोजी–रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा और परिवार भुखमरी का शिकार हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि उनकी भूमि को यथावत रहने दिया जाए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके।

इस मौके पर सतपाल यादव, विजय मौर्य, रविन्द्र नाथ सिंह, राजेश कुमार, रामशब्द सहित कई किसानों ने कहा कि वे अपनी कृषि भूमि किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना था कि भूमि अधिग्रहण से उनका और उनके परिवार का जीवन–यापन प्रभावित होगा।

पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव

संवाददाता–संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रहा में गुरुवार को एक किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

मृतका की पहचान पड़रहा निवासी गुड्डू चौहान की 16 वर्षीय बेटी अंशिका चौहान के रूप में हुई है। गुड्डू चौहान ने बताया कि अंशिका गुरुवार सुबह करीब 7रू30 बजे घर से निकली थी। कई घंटों तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान घर से थोड़ी दूर स्थित एक आम के पेड़ से अंशिका का शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला। पिता गुड्डू चौहान ने पुलिस को बताया कि अंशिका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महुली थाना प्रभारी रजनीश राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

यूजीसी का काला कानून वापस हो नारे के साथ अधिवक्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर यूजीसी का काला कानून वापस हो के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता केन्द्र सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि कानून वापस नहीं होगा तो वृहद आंदोलन किया जाएगा और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। दीवानी न्यायालय परिसर से नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता कलक्ट्रेट पर पंहुचे। नारेबाजी के साथ राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश को सौंपा। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता चौम्बर के सामने सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक व महामंत्री निरंजन सिंह तथा कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय उर्फ विप्र जी के नेतृत्व में अधिवक्ता गण एकत्र हुए। अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। यूजीसी कानून को काले कानून की संज्ञा देते हुए वापस करने की मांग करने लगे । अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति व पीएम को सम्बोधित नौ सूत्रीय मांग पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा।

जिलाधिकारी–एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने खलीलाबाद स्थित जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरकों, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन तलाशी ली। अधिकारियों ने कैदियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। उन्होंने सभी कार्यवाहियों का सही तरीके से निर्वहन करने पर जोर दिया। जेल परिसर की साफ–सफाई बनाए रखने के संबंध में भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक के पीआरओ दुर्गेश कुमार पाण्डेय सहित अन्य जेल और पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–216/2025
लोकेश्वर प्रसाद
बनाम
गोपाल चन्द्र आदि
1. गोपाल चन्द्र उम्र लगभग 44 साल पुत्र स्व0 ओंकारनाथ ग्राम बकदूलम उर्फ डंडिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. सतीश चन्द्र उम्र लगभग 40 साल पुत्र स्व0 ओंकारनाथ ग्राम बकदूलम उर्फ डंडिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 11–03–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 11 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाफिक किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह यही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–677/2025
आमिका देवी
बनाम
रामकुमार
1. रामकुमार उम्र लगभग 40 साल पुत्र अज्ञात ग्राम खाजेपुर तप्पा आदमपुर परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 28–03–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 03 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाफिक किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह यही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

6 लाख की फिरौती के लिए रचा फर्जी–अपहरण का ड्रामा, पुलिस ने खोला 24 घंटे में फर्जीवाड़ा

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय छात्र के अपहरण की सूचना से मचे हड़कंप का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने छात्र को डुमरियागंज थाना क्षेत्र के हल्दौर से सकुशल बरामद करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि छात्र ने खुद ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी और पैसों की व्यवस्था के लिए अपने ही परिजनों से फिरौती मांग रहा था। थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर चन्द्रकान्त पाण्डेय ने बताया कि बुधवार को क्षेत्र के कलौतियाराम गांव निवासी माया प्रसाद ने अपने 17 वर्षीय पोते अमन मिश्र पुत्र विद्या प्रसाद के अपहरण की तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अमन का अपहरण कर लिया है और छह लाख रुपये की फिरौती की मांग की जा रही है। रकम न देने पर हत्या की धमकी भी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल धारा 140(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया। एसपी के निर्देश पर त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस सेल की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य तथ्यों के आधार पर तेजी से कार्रवाई की। लगातार जांच और निगरानी के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर छात्र को हल्दौर से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि छात्र ने खुद ही अपहरण की झूठी सूचना फैलाई थी। उसने पैसों की जरूरत के चलते अपने परिजनों से फिरौती मंगाने की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। छात्र को बरामद करने वाली टीम में थानाध्यक्ष चन्द्रकान्त पाण्डेय के साथ प्रभारी सर्विलांस सेल हरेन्द्र चौहान, एसआई गणेश कुमार, हेड कांस्टेबल जनार्दन, कांस्टेबल जुनेद अहमद, सत्यवीर यादव, अमरजीत यादव और धर्मेन्द्र गौड़ शामिल रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–127/2014
नन्हेलाल आदि
बनाम
दयाशंकर आदि
9/1 दान बहादुर 9/2 रामकृष्ण पुत्रगण स्व0 रामबोध साकिनान मौजा कुचेला तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 09–02–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुदाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 09 माह 02 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

18–19 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ें

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जनपद के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत 18–19 वर्ष आयु वर्ग के सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना था। इसमें जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्राचार्य शामिल हुए। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने यहां अध्ययनरत सभी पात्र छात्र–छात्राओं को मतदाता सूची में शामिल कराएं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल अथवा ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म–6 (लघोपणा पत्र सहित) मरवाकर आवेदन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

जिलाधिकारी ने इस कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सभी प्रधानाचार्यों को अपने–अपने संस्थानों में एक–एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्हें नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने तथा उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित करने को कहा गया। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व से मतदाता सूची में शामिल छात्रों और अब तक नामांकन से वंचित छात्रों की सूची तैयार कर सभी पात्र युवाओं के आवेदन अपेक्षित समय में कराए जाएं। इस अवसर पर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्स्ना बंधु ने फॉर्म–6 के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों से ऑफलाइन प्राप्त फॉर्म–6 आवेदनों को समय पर संबंधित मतदेयक को माध्यम से प्राप्त कर नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कराई जाएं।

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हफीजुल्लाह पुत्र जुड़ावन, आशमा खातून पत्नी हफीजुल्लाह ग्राम– खदरा थाना– लालगंज तहसील व जिला बस्ती का निवासी है। मेरे छोटे लड़के अताउल्लाह का आचरण व चाल चलन ठीक नही है। आये दिन विवाद, कलह किया करता है। उसके व्यवहार से दुःखी होकर हम पति, पत्नी अपने बेटे अताउल्लाह को अपने चल व अचल से सम्पत्ति से दिनांक 28 जनवरी 2026 से बेदखल कर रहा हूं। प्रकाशन इस लिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

शराब के पैसों के विवाद में बुजुर्ग की हत्या, 11 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। उसका बाजार थाना क्षेत्र के तालभिरौना गांव में बुजुर्ग चंद्रबली की हत्या के मामले का पुलिस ने 11 दिन बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को इस ब्लाइंड मर्डर केस में आरोपी वासुदेव को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि शराब की बिक्री के पैसों को लेकर हुए विवाद में नशे की हालत में चंद्रबली की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। घटना 18 जनवरी की रात की है। तालभिरौना गांव में चंद्रबली का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शव पर चाकू के कई गहरे घाव थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी वासुदेव शराब भट्ठी के पास मछली बेचने का काम करता था। शराब दुकान के मुनीब की गैरमौजूदगी में वही शराब की बिक्री भी करता था। घटना वाले दिन उसने सुबह से शाम तक शराब बेची थी। शाम को चंद्रबली शराब की दुकान पर पहुंचा, जहां दोनों पुराने परिचित होने के कारण साथ बैठकर शराब पीने लगे।

नशा बढ़ने के साथ ही चंद्रबली शराब की बिक्री के पैसों की मांग करने लगा। रात करीब 10 बजे दुकान बंद होने के बाद दोनों पैदल गांव की ओर निकले। गांव से पहले एक सुनसान पुलिया के पास चंद्रबली ने फिर से पैसों की मांग की और नशे में हाथापाई करने लगा। इसी दौरान गुस्से में आकर वासुदेव ने मछली काटने वाला चाकू निकाला और चंद्रबली पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल चंद्रबली की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए चाकू खजूरबाड़ पुल से नदी में फेंक दिया और घर जाकर सामान्य व्यवहार करता रहा। बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में वह टूट गया और पूरी वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन, उसका बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि वासुदेव पहले भी गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद से गांव में शोक और दहशत का माहौल है।

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com